

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 482 / 2011
संस्थान दिनांक 17.10.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

रमेश उर्फ गब्बर पिता बाऊ, आयु 34 वर्ष
निवासी- ग्राम फत्यापुर, तहसील अंजड़
जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 29.12.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 270 / 2011 अंतर्गत धारा 354, 323 भा0द0सं0 में दिनांक 17.10.2011 को प्रस्तुत अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 14.10.2011 को समय लगभग शाम 6:00 बजे ग्राम फत्यापुर में जगदीश जायसवाल की किनारा दुकान के सामने फरियादिया का हाथ बुरी नियत से पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने तथा फरियादिया को धक्का मारकर स्वैच्छया उपहति कारित करने के संबंध में धारा 354, 323 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्त को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.2011 को फरियादिया उसके पति श्याम के साथ उसके पिता मोहन के घर ग्राम फत्यापुर आई थी। घटना दिनांक 14.10.2011 को दिन शुक्रवार को फरियादिया घर से जगदीश जायसवाल की किराना दुकान पर सामान लेने गई थी, सामान लेकर दुकान से वापस घर आ रही थी, कि गाँव का अभियुक्त गब्बर

पिता बाऊ आया और उसने फरियादिया का सीधा हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया और औरत बनाने को कहने लगा, फरियादिया ने हाथ छुड़ाया तो अभियुक्त ने उसे धक्का दे दिया तब वह चिल्लाई तो गाँव के विक्रम, बुधन, गिरधारी आये गये, जिन्हें देखकर अभियुक्त भाग गया। फरियादिया ने घटना की जानकारी उसके पति श्याम व पिता मोहन को दी। पुलिस ने फरियादिया द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अपराध क्रमांक 270/2011 अंतर्गत धारा 354, 323, भा0दं0सं0 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 3 लेखबद्ध की तथा अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 323 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है ।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.10.2011 को समय लगभग शाम 6:00 बजे ग्राम फत्यापुर में जगदीश जायसवाल की किनारा दुकान के सामने फरियादिया का हाथ बुरी नियत से पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को धक्का मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में श्याम (अ.सा.1), सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई (अ.सा.2), सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्रसिंह (अ.सा.3) एवं मोहन (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्त की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, इस संबंध में श्याम (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि वह अभियुक्त को जानता है। फरियादिया उसकी पत्नी है। घटना 4 वर्ष पूर्व की है। घटना के समय वह घर पर नहीं था। उसकी पत्नी एवं अभियुक्त के मध्य क्या घटना हुई उसके संबंध में उसकी पत्नी ने उसे कुछ नहीं बताया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी घटना वाले दिन जायसवाल की दुकान पर सामान लेने गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पत्नी ने बताया कि अभियुक्त ने उसका हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी एवं ससुर थाने पर रिपोर्ट करने गये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, कहा गई है, उसे पता नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी ने उसे कोई घटना नहीं बताई थी और उसने भी पुलिस को कोई घटना नहीं बताई थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शनी 1 का कथन देने से भी इंकार किया है।

8. मोहन असा 4 का कथन है कि फरियादिया उसकी पुत्री है। 5 वर्ष पूर्व वह खेत पर मजदूरी करने गया था और वापस आने पर उसकी पुत्री ने बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ गाली-गलोच की थी। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना वाले दिन उसकी पुत्री जगदीश जायसवाल की दुकान पर सामान लेने गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री रोते हुए वापस आई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने उसे गालिया दी थी, इसलिए रोते हुए आ रही थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसकी पुत्री ने बताया कि अभियुक्त ने उसका हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया था और धक्का दिया था। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शनी 4 का कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री ने उसके अभियुक्त द्वारा बुरी नियत से हाथ पकड़ने एवं मारपीट करने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसकी पुत्री 4-5 वर्ष पूर्व उसे एवं गाँव को छोड़कर चली गई है उसने अपनी पुत्री की गुम होने की रिपोर्ट लिखाई है और उसकी पुत्री का कोई पता नहीं चल रहा है।

9. सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्रसिंह असा 3 ने दिनांक 15.10.2011 को थाना अंजड़ में फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 270/11 प्रदर्शपी 3 का दर्ज करने और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी अथवा उसने मन से रिपोर्ट लेखबद्ध कर ली थी।

10. उपनिरीक्षक आर.एस.मण्डलोई असा 2 का कथन है दिनांक 18.10.2012 को थाने के अपराध क्रमांक 270/2011 में फरियादी के बताये अनुसार प्रदर्शपी 1 नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षियों ने उसे अभियुक्त द्वारा फरियादिया का हाथ बुरी नियत से पकड़ लेने के संबंध में कथन नहीं दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादिया से मिलकर अभियुक्त के विरुद्ध असत्य विवेचना की है।

11. फरियादिया के अदम पता होने से अभियोजन की ओर से उसका कथन नहीं कराया गया और उसे अदम पता घोषित किया गया। ऐसी स्थिति में फरियादिया के पिता एवं पति ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और फरियादिया के अदम पता होने के कारण उसके कथन न्यायालय में नहीं कराये गये हैं तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया का हाथ लज्जा भंग करने के आशय से पकड़ा अथवा उसे धक्का देकर स्वैच्छयापूर्वक उपहति कारित की।

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त रमेश उर्फ गब्बर के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 354, 323 भा0द0सं0 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में कोई संपत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

